संख्या-37/2023/1344ई-2/तेरह-2023-358447

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 18 सितम्बर 2023

विषयः- मेसर्स राजश्री फाइन केमिकल्स इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा.लि., ग्राम सालपुर नवदिया, कटरा, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में स्थापित 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को शीरे के साथ-साथ डुअल मोड अर्थात् अनाज पर चलाकर अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-88/दो-प्रा.डी.-216/मे. राजश्री, दिनांक 01-09-2023 एवं प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11-09-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:1324ई-2/तेरह-2023-358447, दिनांक 13-09-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01-09-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स राजश्री फाइन केमिकल्स इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा.लि., ग्राम सालपुर नवदिया, कटरा, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को पूर्व से स्वीकृत शीरे पर आधारित प्लान्ट की क्षमता 80 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 280 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत शीरे से ई.एन.ए./रेक्टिफाइड स्प्रिट (इम्प्योर स्प्रिट)/अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस.डी.एस. उत्पादन हेतु शीरे पर आधारित प्लान्ट को डुअल मोड अर्थात् शीरे के साथ-साथ ग्रेन पर चलाये जाने हेतु प्लान्ट/मशीनरी स्थापित किये जाने अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) अलग-अलग प्लान्ट से अलग-अलग फीड से एथनॉल उत्पादन किये जाने की दशा में शासनादेश दिनांक 10.05.2023 के क्रम में इस कार्यालय से निर्गत परिपत्र संख्या 450-513/ दो-प्रा0डी0-163/ बी-हैवी/प्रयागराज दिनांक 18.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा डुअल फीड पर आसवनी संचालन से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्रमाण प्रत्र प्राप्त किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रतर कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई राजस्व बकाया न हो।

(7) इकाई द्वारा 80 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यदिवस के आधार पर 280 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के अन्तर्गत डुअल मोड पर चलाये जाने वाले प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले शीरे एवं ग्रेन का प्रतिशत निर्धारित कर आबकारी आयुक्त को अवगत कराया जायेगा।

(8) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रतर कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई द्वारा राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं मासफ्लोमीटर की स्थापना कर ली गयी है।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-37/2023/1344(1)ई-2/तेरह-2023-358447 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।